मध्यप्रदेश विधान सभा

सितम्बर, 1992 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 3 सितम्बर, 1992 (भाद्र 12, 1914)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री दादी सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
(2) श्री गया प्रसाद कबीर पंथी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिए जायेंगे.

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे:-

(1) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (क्रमांक 1 सन् 1992)
(2) मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (क्रमांक 2 सन् 1992)
(3) मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (क्रमांक 3 सन् 1992), तथा
(4) मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (क्रमांक 4 सन् 1992)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का चौंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1-4-90 से 31-3-91 तक) पटल पर रखेंगे,

(2) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे :-

(क) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड का पंचम एवं षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 एवं 1989-90,

(ख) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 27-वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1987-88,

(घ) मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का पन्द्रहवां वार्षिक प्रदिवेदन और लेखे दिनांक 31 दिसम्बर, 1985.

(4) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्राविडेंट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(5) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के वर्ष 1985-86 के लेखाओं का महालेखाकार (लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश द्वारा किया गया अंकेक्षण प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(6) श्री जयंत मलैया, राज्य मंत्री, आवास एवं पर्यावरण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दी मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1985-86 पटल पर रखेंगे.

5. फरवरी-मार्च, 1992 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

6. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 1992 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) ठाकुर दरबार सिंह, श्री रामानन्द सिंह, डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा कक्षा दो की पुस्तकों पर शराब विक्रेताओं के विज्ञापन दिये जाने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री मोतीलाल वोरा, रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए अंग्रेजी विषय में न्यूनतम अंकों की बाध्यता से प्रदेश में हो रही परेशानी की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 154 दन्तेवाडा से निर्वाचित सदस्य, श्री बारसा दुलाराम तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 166 खेरथा के सदस्य श्री प्यारेलाल बेलचंदन को सितम्बर 1992 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

10. सभापति तालिका की घोषणा

11. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की सभा (कोर्ट) के लिए राज्य विधानसभा के आठ-आठ सदस्यों का निर्वाचन

श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे.

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों में से क्रमशः आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ".

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) डा. शक्राजीत नायक, सभापति गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे.

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है."

(2) श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -

"सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है".

13. राज्य मंत्री पर्यटन का वक्तव्य

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राज्यमंत्री पर्यटन, दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक 597) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

14. राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का वक्तव्य

श्री गौरी शंकर शैजवार, राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दिनांक 6 मार्च, 1992 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (2507) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

170

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ (निरसन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 7 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री हिम्मत कोठारी, लोक निर्माण मंत्री, भारतीय पथकर (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 8 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 9 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 10सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामदान (निरसन) विधेयक 1992 (क्रमांक 15 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(6) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 17 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

16. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

निर्धारित समय

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/ललित जैन/गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 1 सन् 1992) का अननुमोदन करता है".

1 घन्टा

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 9 सन् 1992) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

18. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/गजराज सिंह सिकरवार/जालम सिंह पटेल, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश सामान्य विक्रयकर (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 2 सन् 1992) का अननुमोदन करता है".

1 घन्टा

19. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री सामान्य विक्रय कर (संशोधन) विधेयक 1992 (क्रमांक 12 सन् 1992) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

20. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/गजराज सिंह सिकरवार सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 3 सन् 1992) का अननुमोदन करता है".

1 घन्टा

21. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 1992 (क्रमांक 13 सन् 1992) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

22. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जालम सिंह पटेल/गजराज सिंह सिकरवार/रविन्द्र चौबे/जगदम्बा प्रसाद निगम/ललित जैन/चौधरी राकेश सिंह, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 4 सन् 1992) का अननुमोदन करता है".

3 घन्टे

23. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री भेरूलाल पाटीदार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 1992 (क्रमांक 14 सन् 1992) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

विजेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 2 सितम्बर, 1992